


30.12.2020

वकील डिक्लीयर उपस्थित नहीं। पत्रावली का
डेवलपमेंट किया गया। पत्रावली में डिक्ली दावा
स्वार्थ की प्रकृति गई है जो चलते योग्य
न होने के कारण पत्रावली स्वार्थ की
जाती है। पत्रावली में एक श्रुति होकर
चक्र से कम होकर बाद तक वकील
दाखिल करवा दी।


उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

